डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/992/2026 दिनांक : 17/03/2026

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः शासन के पोर्टल (https://henoc.upsdc.gov.in) पर स्थायी/अग्रेत्तर सम्बद्धता हेतु किये जा रहे आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पूर्व से संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्थायी/अग्रेत्तर सम्बद्धता हेतु शासन के माध्यम से संचालित पोर्टल (https://henoc.upsdc.gov.in) पर शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि 22 मार्च, 2026 तक पंजीकरण/आवेदन किया जाना है।

पोर्टल पर आवेदन किये जाने के उपरान्त महाविद्यालय का भौतिक स्थलीय निरीक्षण कराये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण मण्डल का गठन किया जाता है। इस सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल गठन हेतु महाविद्यालय द्वारा सुसंगत अभिलेखों सहित विश्वविद्यालय से अनुरोध किया जाना आवश्यक है।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि आवेदित महाविद्यालयों द्वारा निरीक्षण मण्डल गठन हेतु केवल आवेदन/फॉर्म की प्रति संलग्न कर पत्रावली प्रस्तुत कर दी जाती है, जो कि नियमानुसार अपूर्ण है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा निरीक्षण मण्डल गठन हेतु पत्रावली विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर दी गयी है अथवा दिनांक 22 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत की जायेगी, वे सभी महाविद्यालय निम्नलिखित प्रमाणित प्रपत्र पत्रावली में अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए स्वयं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. **भूमि सम्बन्धी खतौनी की सत्यापित प्रति।**
2. **भूमि सोसाइटी से लीज पर होने की दशा में लीज डीड की प्रमाणित प्रति।**
3. **सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।**
4. **प्रबन्ध समिति अनुमोदन पत्र की प्रमाणित प्रति।**
5. **महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शिक्षकों के अनुमोदन पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।**

उक्त अभिलेखों के अभाव में निरीक्षण मण्डल गठन की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय - माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. ऐजेन्सी - इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Afflsvlett